

फर्द अहक़रम


नाम न्यायालय - सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान ~~शमबाबू~~ बनाम ~~जे.डी.ए~~

मुकदमा संख्या - ~~अस्थायी निर्णय~~ - 182/110/2010 182/2010

15/09/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उक्त पत्रावली दिनांक 23.11.15 को पारित सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम न्यायालय के निर्णय की पालना बाबत है परन्तु उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि 182/2010 रामबाबू बनाम जे.डी.ए के निर्णय दिनांक 23.11.15 को माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिनांक 18.10.19 को निरस्त कर दिया गया व उसके विरुद्ध की गई राजस्व मंडल (डबल बेंच) नजरसानी अपील भी खारिज हो चुकी है।

दिनांक 18.10.19 को राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय में सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम न्यायालय ने निर्णय दिनांक 23.11.15 को खारिज फरमाया गया व इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय/सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम न्यायालय को कोई भी और आदेश प्रदान नहीं किए। ऐसी स्थिति में इस पत्रावली में इस न्यायालय से और कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15/9/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

